राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः–एफ7(45)/नर्सिंग/सामान्य/2015/ दिनांक

परिपत्र

श्रीमान विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1), विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प.7 (146)डीएमई/एके/16/4433 दिनांक 29.06.2016 के द्वारा मेडिकल कालेजों के साथ जिला मुख्यालय पर स्थित विभिन्न जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किया गया है। पूर्व में इन अस्पतालों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(57)चिस्वा0./2003 दिनांक 20.04.2007 के द्वारा जीएनएम/ बीएससी नर्सिंग/पोस्टबेसिक बीएससी नर्सिंग पाठयकम के प्रशिक्षार्थियों को क्लिनिकल ट्रेनिंग दिए जाने के निर्देश दिए हुए है, लेकिन अब यह अस्पताल मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध हो गये है जो कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग से संबद्ध है। अतः उनमें सभी निजी जी0एन0एम0 स्कूल/बीएससी/फिजियोथेरेपी कॉलेजों के प्रशिक्षणार्थियों को वांछित क्लिनिकल ट्रेनिंग निम्न शर्तो के आधार पर दिए जाने की अनुमती एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1 क्लिनिकल ट्रेनिंग की यह सुविधा जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग/फिजियोथेरेपी / एवं बी0एस0सी0 ओक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स के केवल मात्र तृतीय वर्ष /अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध होगी।
2 यह प्रशिक्षण सुविधा मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में ही दी जायेगी।
3 निजी जी0एन0एम0 स्कूल, नर्सिंग कॉलेज/फिजियोथेरेपी कॉलेजों के तृतीय/अंतिम वर्ष के छात्रों के लिये प्रति कार्स प्रति छात्र संस्था द्वारा 5000/– रूपये वार्षिक शुल्क, जिले की सम्बंधित मेडिकल रिलीफ सोसायटी में जमा कराने होगें जो निर्धन रोगियों की दवाओं के क्रय हेतु उपयोग में लिये जायेगें।
4 निजी स्कूल /कॉलेज इस शुल्क की प्राप्ति प्रशिक्षणार्थियों से कदापि नहीं करेंगे। यदि इस शुल्क की प्राप्ति प्रशिक्षणार्थियों से की गई तो सम्बन्धित स्कूल/कॉलेज की एन.ओ.सी. निरस्त कर दी जायेगी।
5 संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियो को क्लिनिकल ट्रेंनिग देने हेतु अधिकृत होंगे।
6 एक मेडिकल कॉलेज के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक स्कूल/कॉलेज होने पर, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय अपने स्तर पर अस्पताल विशेष/प्रशिक्षण समय का चयन करेंगे।
7 सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रत्येक जी0एन0एम0 स्कूल /नर्सिंग कॉलेज/फिजियोथेरेपी व आक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपने तृतीय वर्ष/अंतिम वर्ष के सभी प्रशिक्षणार्थियों का 5000/– वार्षिक शुल्क जमा करायें।

10.6.19
शासन उप सचिव

क्रमांकः–एफ7(45)/नर्सिंग/सामान्य/2015 दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव भारतीय नर्सिंग परिषद, कोटला रोड टेम्पल लेन, काबाईन्ड कौंसिल बिल्डगं, नई दिल्ली
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि बी.एस.सी. /फिजियोथैरेपी/ऑक्यूपेशनल थेरेपी पाठ्यक्रम के तृतिय/अंतिम वर्ष प्रशिक्षणाधीन कॉलेजों के नाम की वांछित सूची सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय को उपलब्ध करावें।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक समस्त मेडिकल कॉलेज........
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर
8. निदेशक (अस्पताल प्रशासन) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि तृतीय /अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के जी.एन.एम. स्कूल/बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज की वांछित सूची सम्बन्धित जिले के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध करावे तथा सभी जी.एन.एम. स्कूल/बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेजों को अपने स्तर पर सूचित करे।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान..........
12. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
13. रक्षित पत्रावली

10.6.19
शासन उप सचिव